(10)

संख्या–सा–3–1341/दस–2010–308/97 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनाँक : 23 अगस्त, 2010

विषय :– **पारिवारिक पेंशनरों को 80 वर्ष अथवा अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन संबंधी व्यवस्था का सरलीकरण।**

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–सा–3–1541/दस–2008–308/97 टी0सी0, दिनाँक 07 जनवरी, 2009 के प्रस्तर–5 में यह प्रावधान है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के पारिवारिक पेंशनरों जिनकी जन्मतिथि के संबंध में, उक्त शासनादेश में उल्लिखित मान्य अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध न हों तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण–पत्र मान्य होगा परन्तु आयु प्रमाण–पत्र विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, जहाँ से पेंशनर सेवानिवृत्त हुआ था, के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

2– वर्तमान में उक्त व्यवस्था के कारण पारिवारिक पेंशनरों को होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिवारिक पेंशनर सेवानिवृत्ति के जनपद से भिन्न जनपद से यदि पेंशन प्राप्त कर रहा / रही है तो पेंशन आहरण के जनपद के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शासनादेश दिनाँक 07 जनवरी, 2009 के प्रस्तर–5 की प्रकिया अपनायी जायेगी।

3– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

4– उपरोक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5– समस्त कोषाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पेंशनरों से, उनकी पारिवारिक पेंशन के हकदार व्यक्ति (जैसा पी0पी0ओ0 में अंकित है) की जन्मतिथि की जानकारी अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्राप्त कर कोषागार के अभिलेखों एवं पेंशनर डाटा बेस में अंकित कर लें। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशनर जिनकी आयु अभी 80 वर्ष की नहीं हुई है, से भी उनकी जन्मतिथि संबंधी मान्य अभिलेख / प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये ताकि उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय से सुगमतापूर्वक मिल सके। कोषाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में समय–समय पर नोटिस के माध्यम से या स्थानीय पेंशनर संघों आदि के माध्यम से, यथेष्ट जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करें।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

——2/–

संख्या–सा–3–1341(1)/दस–2010–308/97 टी0सी0, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय ।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, लखनऊ ।
4– इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में यथेष्ट निर्देश प्रदान कर दें।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियॉ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियॉ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पॉच प्रतियॉ)
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ
10– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
11– सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(पी0 लाल)
अनु सचिव।